

प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी
कानपुर नगर, गाजीपुर, रायबरेली, सोनभद्र।

पत्रांक:-001/जीओ.24/लेखा.डीआरडीए/2014-15

दिनांक: 21, मार्च, 2015

विषय: जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (प्रशासन) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त द्वितीय किशत के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-डी0 127/38-2-2015-2(65)डी/2013 दिनांक 19 मार्च, 2015 (छाया प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन मद योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में योजनान्तर्गत रु0 68.78 लाख केन्द्रांश तथा उक्त के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रु0 22.93 लाख कुल धनराशि रु0 91.71 लाख (रुपये इक्यान्वे लाख इकहत्तर हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि रु0 91.71 लाख (रुपये इक्यान्वे लाख इकहत्तर हजार मात्र) संलग्न आवंटन ग्रिड के अनुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपको आवंटित की जा रही है।

- 1- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-795/दस- 2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-2457/दस- 2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष आहरण एकमुश्त न कर आवश्यकतानुसार किया जाये।
- 2- उक्त धनराशि के व्यय हेतु मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण केन्द्रांश एवं राज्यांश की सीमा तक किया जायेगा तथा आहरण में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। आहरित धनराशि का व्यय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (प्रशासन) योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण-वितरण के लिये सम्बन्धित जनपदों के वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त नियंत्रक व लेखाधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कमी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है तो इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय को दी जाएगी।
- 3- केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार एवं भारत सरकार को समयान्तर्गत प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि 31 मार्च, 2015 को समर्पित कर दी जायेगी।
- 4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-02 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-0202-जिला ग्राम्य विकास अभिकरण(के.75/रा.25-के.+रा.)-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामे डाला जायेगा।
- 5- उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ संख्या-215 पर कर ली गई है।

6- आवंटित धनराशि के आहरण की सूचना बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित आहरण के अगले माह की 5 तारीख तक इस कार्यालय के लेखा अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार

भवदीय,

Kamran

(कामरान रिजवी)

आयुक्त

ग्राम्य विकास, उ०प्र०।

पत्रांक-001/जीओ.24/लेखा.डीआरडीए/2014-15 उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 3- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ०प्र०शासन।
- 4- संबंधित जिलाधिकारी/जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
- 5- संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ/वित्त एवं लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो,जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
- 7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग-1 एवं 2 तथा नियोजन अनुभाग-3।
- 8- संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास, अनु०-2 उ०प्र० शासन को शासनादेश संख्या-डी० 127/38-2-2015-2(65)डी/2013 दिनांक 19 मार्च, 2015 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(राजीव कुमार सिन्हा)

अपर आयुक्त (लेखा)

ग्राम्य विकास, उ०प्र०।

Print Report
Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2014-2015
आवंटन दिनांक-21/03/2015

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

G.O.24
001-G.O.24.lekha.drda.2015
13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)
2501 - ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम(आयोजनागत-मतदेय)
01 - समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम
800 - अन्य व्यय
02 - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
02 - जिला ग्राम्य विकास अभिकरण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	योग
1	कानपुर नगर-2253-जिलाधिकारी द्वारा नामित अधि०, --01--	वर्तमान प्रगामी	4064000 7917100	4064000 7917100
2	गाज़ीपुर-2253-जिलाधिकारी द्वारा नामित अधि०, --01--	वर्तमान प्रगामी	1159000 5789900	1159000 5789900
3	रायबरेली-2253-जिलाधिकारी द्वारा नामित अधि०, --01--	वर्तमान प्रगामी	1556000 5892700	1556000 5892700
4	सोनभद्र-2253-जिलाधिकारी द्वारा नामित अधि०, --01--	वर्तमान प्रगामी	2392000 6082300	2392000 6082300
	योग	वर्तमान प्रगामी	9171000 25682000	9171000 25682000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रुपया इकानवे लाख इकत्तर हजार
रुपया दो करोड़ छप्पन लाख बयासी हजार

(राजीव कुमार सिन्हा)
अपर आयुक्त- लेखा

प्रेषक,

पी०एन० त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ०प्र० लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 19 मार्च, 2015

विषय:- जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (प्रशासन) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त द्वितीय किस्त के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-427/लेखा/डी०आर०डी०ए०/2014-15 दिनांक 16 मार्च, 2015 के साथ संलग्न ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या-17014/19/2014-15 डी०आर०डी०ए० (एस०एल०-116) दिनांक 04 मार्च, 2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, प्रशासन योजनान्तर्गत 04 जनपदों की केन्द्रांश की द्वितीय किस्त की धनराशि रू० 68.78 लाख अवमुक्त करने तथा उक्त के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू० 22.93 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः जिला ग्राम्य विकास अभिकरण योजनान्तर्गत द्वितीय किस्त के रूप में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी रू० 68.78 लाख केन्द्रांश तथा उक्त के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू० 22.93 लाख कुल धनराशि रू० 91.71 लाख (रूपये इक्यान्नबे लाख इकहत्तर हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-795/दस-2014-231/2014 दिनांक 14 मार्च, 2014 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-2457/दस/2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 में निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष आहरण एकमुश्त न कर आवश्यकतानुसार किया जाय।

4- उक्त धनराशि के व्यय हेतु मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण केन्द्रांश एवं राज्यांश की सीमा तक किया जायेगा तथा आहरण में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। आहरित धनराशि का व्यय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन मद योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण-वितरण के लिए सम्बन्धित जनपदों के वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त नियंत्रक व लेखाधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग को दे दी जायेगी।

श्री 15/3/15
16/3/15

5- केन्द्रांश एवं राज्य की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार एवं भारत सरकार को समयान्तर्गत प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2015 को समर्पित कर दी जायेगी।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2501-ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01 समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-02राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-0202-जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (के.75/रा.25-के.+ रा.)-31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-795/दस-2014-231/2014 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-2457/दस/2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0एन0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

संख्या 1/27(1)/38-2-2015 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- (2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- (3) अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (4) मण्डलायुक्त, लखनऊ, /मिर्जापुर/वाराणसी/कानपुर/जिलाधिकारी रायबरेली, सोनभद्र, गाजीपुर एवं कानपुर नगर।
- (5) वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/राज्य योजना आयोग-1/2 तथा नियोजन अनु0-3
- (6) ग्राम्य विकास अनु0-3
- (7) निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(पी0एन0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।